

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन'
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया।

पटना, दिनांक 6/6/2018

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:

आपका पत्रांक-261 दिनांक-14.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के प्रसंग में कहना है कि 50-जोकीहाट (अररिया) विधान सभा उप निर्वाचन-2018 के कारण अररिया जिला में लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए विभागीय पत्रांक-234 दिनांक-26.04.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु निर्धारित समय तालिका को संशोधित करते हुए केवल अररिया जिले के लिए निम्नवत् पुर्ननिर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	07 जून, 2018 तक
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	14 जून, 2018 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	20 जून, 2018 तक
4	प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	23 जून, 2018 को.
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	24 जून, 2018 से 06 जुलाई, 2018 तक
6	मेधा सूची का प्रकाशन।	11 जुलाई, 2018 को
7	मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	12 जुलाई 2018 से 15 जुलाई, 2018 तक
8	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा उपलब्ध कराना।	17 जुलाई, 2018 तक

162

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानों तथा विभागीय ज्ञापांक 09/बि0वि0प0स0-09/2015-216 दिनांक 09.04.2018 एवं पत्रांक-264 दिनांक-18.05.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा विद्यालयों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।

विश्वासभाजन

06/06/2018
(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 289

पटना, दिनांक 06/06/2018

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, अररिया/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियां/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/06/2018
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 289

पटना, दिनांक 06/06/2018

प्रतिलिपि : आई० टी० प्रबंधक, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

06/06/2018
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा हेतु मानदेय के आधार पर नियोजन-2018

35 प्रतिशत महिला का क्षैतिज आरक्षण के साथ रोस्टर समाशोधन के उपरंत विषयवार/कोटिवार रिक्तियां

विषय का नाम	कुल रिक्त पद	Unreserved		Reserved								RF	Total	
		UR	URF	EBC	EBCF	BC	BCF	SC	SCF	ST	STF			
गणित	24	8	4	3	1	2	1	1	2	2	0	0	1	24
भौतिकी	33	11	6	4	2	3	1	1	3	2	0	0	1	33
रसायनशास्त्र	24	8	4	3	1	2	1	1	2	2	0	0	1	24
अंग्रेजी	34	11	6	4	2	3	1	1	4	2	0	0	1	34
प्राणीशास्त्र	6	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6
वनस्पतिशास्त्र	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
कुल :-	125	41	22	16	6	11	4	4	13	8	0	0	4	125

8/11/2018

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(मा0शि0) अररिया

[Signature]

[Signature]
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) अररिया

[Signature]
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/ राजकीयकृत/ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सूचा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र-

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक -

प्रशिक्षित

अप्रशिक्षित

1. जिला का नाम :-
2. विषय :-
3. अभ्यर्थी का नाम :-
4. (क) पिता का नाम :-
(ख) माता का नाम :-

पासपोर्ट साइज
का
स्वअभिप्रेमाणित
फोटो

5. जन्म तिथि:-

6. लिंग :- पुरुष महिला

7. 1 ली जनवरी को आयु वर्ष माह दिन

8. स्थायी पता-ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर

..... थाना..... जिला.....

.....पिन कोड..... मोबाईल नं० ई मेल

9. पत्रचार का पता- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/ शहर

10. कोटि:- सामान्य आरिक्त

11. आरक्षण की कोटि :- अ०ज० अ०ज०जा० अ०पि०व० वि०व०

12. यदि विकलांग हो तो :- दृष्टि बाधित श्रवण बाधित अस्थिजन्य निःशक्त

3. योग्यता :-

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद या विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
माध्यमिक						
उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट						
स्नातक/स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
एम0टेक						
बी0टेक						
प्रशैक्षणिक योग्यता --						
बी0एड0						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान:-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या..... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम